उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : पी0बी0एक्स0–2225439, 2222363, 2228461
फैक्स : 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्रांक– 2206 रो/19–848रो/78–15 Vol-II दिनांक:08 अगस्त, 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो/वित्त),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः–उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परिवहन विभाग, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 732/तीस–2–2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 की भाँति वर्ष 2019 मे भी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की समस्त बसों में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 14 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 15 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि में (24 घंटों के लिये) उपलब्ध होगी तथा उक्त अवधि में सभी महिला यात्री निगम की सभी प्रकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगीं।

उक्त व्यवस्था को लागू करने के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र/डिपो स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करायें:–

1– परिचालक द्वारा उक्त दिनांक छूट की अवधि में यात्रा करने वाली महिलाओं को ई0टी0एम0 मशीन से शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में ई0टी0एम0 मशीन से शून्य मूल्य का टिकट जारी न होने की दशा में परिचालक ब्लैंक बुक से शून्य मूल्य का टिकट जारी करेगा तथा मार्ग पत्र पर प्रस्थान स्टेशन से गन्तव्य स्थान तक अंकित करेगा तथा ब्लैंक टिकट पर किराये की धनराशि की प्रविष्टि करेंगा, परन्तु महिला यात्रियों से किराया नहीं लेगा। शून्य किराया राशि के टिकटों की परिचालक प्रति को मार्ग पत्र के साथ जमा करेगा।

2– ई0टी0एम0 अथवा ब्लैंक बुक से शून्य मूल्य का टिकट जारी करने के वास्तविक समय के आधार पर महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जायेगा। इसके लिये क्षेत्र/डिपो के टिकट स्टाक में उपलब्ध न्यूनतम मूल्य के टिकट का उपयोग किया जायेगा।

3– अनुबन्धित बसों (साधारण बस योजना/मिड सिगमेंट बस योजना–2014 तथा 2016/हाई एण्ड वाल्वो–स्कैनिया) के बस स्वामियों को पाक्षिक भुगतान की गणना करते समय बस की सम्पूर्ण आय में महिला यात्रियों के किराये के समतुल्य परिकल्पित (नोशनल) आय को सम्मिलित करते हुये भुगतान योग्य आय की गणना की जायेगी। तद्नुसार बस स्वामी को देय पाक्षिक भुगतान की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

4– ई0टी0एम0 से महिला यात्रियों के लिये निःशुल्क टिकट निकालने के लिये परिचालक द्वारा मात्र "Enter" के स्थान पर "G" बटन दबाना होगा। निःशुल्क टिकट केवल दिनांक 15–08–2019 के लिये ही निर्गत होगा। अतः यह आवश्यक है कि ई0टी0एम0 मशीन प्राप्त करते समय मशीन की तिथि व समय सही हो। अन्य जानकारी डिपो/क्षेत्र में Trimax के Team Leader से प्राप्त की जा सकती है।

5— समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा रक्षाबन्धन पर्व पर परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने की सुविधा दिनांक 14 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 15 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि में (24 घण्टो के लिये) की गयी यात्रा (टिकटों की संख्या एवं किराये की धनराशि) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 23 अगस्त, 2019 तक प्राप्त कराया जायेगाः—

डिपो का नाम	महिला यात्री को जारी कुल टिकटों की संख्या	महिला यात्रियों द्वारा की गयी यात्रा का कुल टिकट मूल्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अग्रिम आरक्षण/बुकिंग काउंटर से क्रय किये गये टिकट जो दिनांक 14 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 15 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक (24 घण्टो के लिये) महिलाओं की यात्रा के लिये है, के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः—

1. ऑनलाइन एवं ए0पी0आई0 के माध्यम से क्रय किये गये महिला टिकट की धनराशि का रिफण्ड दिनांक 15—08—2019 के उपरान्त ऑनलाइन स्वतः हो जायेगा।
2. दिनांक 15—08—2019 की यात्रा के लिये महिला यात्री द्वारा काउंटर से अग्रिम क्रय किये गये टिकट की धनराशि का रिफण्ड निगम के किसी भी काउंटर से यात्रा समाप्ति के 72 घंटे के अंदर प्राप्त किया जा सकेगा।

परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा/व्यवस्था का व्यापक प्रचार—प्रचार क्षेत्र, डिपो, स्टेशन स्तर पर कराया जाये तथा महिला यात्रियों की जानकारी हेतु प्रत्येक स्टेशन पर इस आशय की सुचना प्रदर्शित की जाये एवं स्थानीय प्रेस के माध्यम से भी प्रचार—प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग—2, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या 732/तीस—2—2019 दिनांक 08.08.2019 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2— मु0प्र0प्र0(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3— प्र0प्र0(आई0टी0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त अवधि के लिये सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराकर, उक्त व्यवस्था को लागू कराना सुनिश्चित करें।
4— समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5— सहायक प्रबन्धक, अध्यक्ष कैम्प/प्र.नि./अ.प्र.नि. कैम्प, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6— जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार—प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)